



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 407 वर्ष 2026

बलजी

याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उप निदेशक चकबंदी बलिया और 8 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अरविंद कुमार मौर्य, अरविंद सिंह प्रतिवादी(यों) के
अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और बोर्ड पर मौजूद अभिलेख का अध्ययन किया।

2. इस रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है:

"1. उप निदेशक, संकेंद्रण बलिया को दिनांक 21/06/2025 को याचिकाकर्ता द्वारा दायर बहाली आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 17/06/2025 को पारित आदेश को वापस लेने की मांग की गई है, जो कि मामला संख्या 582/2015 कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या 2015531509000165 अवधेश कुमार सिंह बनाम बलजी, धारा 48(1) मौजा साहो दिह, परगना खारिद जिला बलिया के अंतर्गत है। साथ ही, प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे मौके पर यथास्थिति बनाए रखें और किसी तीसरे पक्ष का अधिकार सृजित न करें तथा याचिकाकर्ता के विवादित भूमि पर कब्जे में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान हस्तक्षेप न करें।"

3. यह बताया गया है कि मामला काफी समय से विचाराधीन है; हालांकि, इसे शीघ्रता से निपटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

4. यदि उपर्युक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किया जाता है तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

5. उपरोक्त संदर्भ में, इस मामले को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए न्यायालय इस रिट याचिका का अंतिम निपटारा करना उचित समझता है, याचिका में उल्लिखित मामले की खूबियों पर कोई टिप्पणी किए बिना, और उप निदेशक चकबंदी (प्रतिवादी संख्या 1) को, जिनके समक्ष उपर्युक्त मामला लंबित है, यह निर्देश देते हुए कि वे विधि के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दस महीने की अवधि के भीतर, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो, तो इसका निर्णय करें।

6. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

3 फरवरी, 2026

विनय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"